



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082023-248352
CG-DL-E-25082023-248352

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 487]
No. 487]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त, 25, 2023/भाद्र 3, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST, 25, 2023/BHADRA 3, 1945

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 623(अ):—केंद्र सरकार वास्तुकार अधिनियम, 1972 की धारा 44 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वास्तुकला परिषद नियम, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों को वास्तुकला परिषद (संशोधन) नियम, 2023 कहा जाएगा।
(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- वास्तुकला परिषद नियम, 1973 में, अध्याय III के बाद, निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

“अध्याय-III क

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (च) के तहत परिषद के सदस्यों के नामांकन के लिए पात्रता मानदंड।

22क. नामांकन के लिए पात्रता - (1) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में कार्यरत कोई वास्तुविद या किसी वास्तुकला संस्थान में नियोजित व्यक्ति या परिषद से वैध पंजीकरण के साथ निजी प्रैक्टिस करने वाला कोई वास्तुविद, संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, जहां वह काम कर रहा है या कर रही है या प्रैक्टिस कर रहा है या कर रही है, जैसा भी मामला हो, में रिक्ति के संबंध में निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु पात्र होगा/होगी।

(2) नामांकित व्यक्ति के पास उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का अधिवास होना चाहिए जहां से उसे नामांकित किया जा रहा है।

(3) उप नियम (1) के तहत नामांकन दाखिल करने हेतु पात्र होने के लिए वास्तुकार के पास रोजगार या अभ्यास में कम से कम दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

22ख. नामांकन की प्रक्रिया (1) संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का तकनीकी शिक्षा से संबंधित या उच्चतर शिक्षा से संबंधित विभाग, जैसा भी मामला हो, द्वारा खुले आमंत्रण के माध्यम से नामांकन आमंत्रित किए जाएंगे।

(2) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार योग्यता के आधार पर ऐसे सभी आवेदनों की उम्मीदवारी पर विचार करेगी और परिषद में संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के नामांकित व्यक्ति के संबंध में पत्र रजिस्ट्रार, वास्तुकला परिषद को भेजा जाएगा।

(3) नामांकन की प्रक्रिया संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पिछले नामांकित व्यक्ति के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम एक महीने पहले पूरी की जाएगी।

[सं. फा. 4-7/2020-टीएस.VI]

सौम्या गुप्ता, संयुक्त सचिव

फुट नोट: वास्तुकला परिषद नियम, 1973 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3 उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 67 (अ) दिनांक 20 फरवरी, 1973 के तहत प्रकाशित किया गया था और बाद में निम्नानुसार संशोधित किया गया था;

- I. सा.का.नि. 1104 दिनांक 26-09-1973
- II. सा.का.नि. 543(ड) दिनांक 31-12-1973
- III. जनवरी 1975 का सा.का.नि. 412(ड.)
- IV. सा.का.नि. 669 दिनांक 04-05-1977
- V. सा.का.नि. 751 दिनांक 10-10-1987
- VI. सा.का.नि. 192 दिनांक 15-09-1998
- VII. सा.का.नि. 14 दिनांक 03-01-2002
- VIII. सा.का.नि. 173 दिनांक 06-08-2014

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2023

G.S.R. 623(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 44 of the Architects Act, 1972, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Council of Architecture Rules, 1973, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Council of Architecture (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Council of Architecture Rules, 1973, after Chapter III, the following chapter shall be inserted, namely:-

“Chapter-III

ELIGIBILITY CRITERIA FOR NOMINATION TO THE MEMBERS OF THE COUNCIL UNDER CLAUSE (F) OF SUB-SECTION (3) OF SECTION 3 OF THE ACT.

22A. Eligibility for Nomination. - (1) An architect working in the State Government or Union territory administration or a person employed in any Architectural Institution or an architect in private practice, having valid registration with the Council shall be eligible to file the nomination to contest the election in respect of vacancy in the respective State or Union territory, where he or she is working or practicing, as the case may be.

(2) The nominee shall have domicile in the State or the Union territory from where he or she is being nominated.

(3) Architect shall have at least ten years' experience in employment or practice for being eligible to file nomination under sub-rule (1).

22B.Process of Nomination. (1) Nominations shall be invited through open invitation by the department handling Technical Education or the department handling Higher Education of the concerned State or the Union territory, as the case may be.

(2) The government of the State or the Union territory shall consider candidature of all such applications on merit and communication towards nominee of the concerned State or the Union territory on the Council shall be sent to the Registrar, Council of Architecture.

(3) The process of nomination shall be completed by the respective State or the Union territory at least one month prior to the expiry of term of previous nominee.”

[No. F. 4-7/2020-TS.VI]

SAUMYA GUPTA, Jt. Secy.

Foot Note: The Council of Architecture Rules, 1973 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 sub-section (i) vide number G.S.R 67(E) dated 20th Feb, 1973 and subsequently amended as follows by;

- i. GSR 1104 dated the 26-09-1973
- ii. GSR 543(E) dated the 31-12-1973
- iii. GSR 412(E) of January, 1975
- iv. GSR 669 dated the 04-05-1977
- v. GSR 751 dated the 10-10-1987
- vi. GSR 192 dated the 15-09-1998
- vii. GSR 14 dated the 03-01-2002
- viii. GSR 173 dated the 06-08-2014